



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256496
CG-DL-E-20082024-256496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]
No. 473]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 512(अ).—वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा वास्तुकला परिषद नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों को वास्तुकला परिषद नियम (संशोधन), 2024 कहा जाएगा।
(2) ये नियम अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- वास्तुकला परिषद नियम, 1973 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा जाएगा) के नियम 22क में,-
(क) उप-नियम (1) में, "रिक्ति के संबंध में निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु" शब्दों के स्थान पर, "नामांकित किए जाने के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उप-नियम (3) में, "नामांकन दाखिल करने" शब्दों के स्थान पर "नामांकित किया जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 22ख के उपनियम (2) में, शब्द "आवेदनों" के स्थान पर शब्द "आवेदकों" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 4-7/2020-टीएस.VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

फुट नोट: वास्तुकला परिषद नियम, 1973 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (i) में दिनांक 20 फरवरी, 1973 की संख्या सा.का.नि. 67(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2023 की संख्या सा.का.नि. 623(अ) के तहत अंतिम बार संशोधित नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 25 अगस्त, 2023 को प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 44 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Council of Architecture Rules, 1973, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Council of Architecture (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Council of Architecture Rules, 1973 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 22A,-**

(a) In sub-rule (1), for the words "to file the nomination to contest the election in respect of vacancy in", the words "to be nominated by" shall be substituted;

(b) In sub-rule (3), for the words "file nomination", the words "be nominated" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 22B, in sub-rule (2), for the word "applications", the word "applicants" shall be substituted.

[F. No. 4-7/2020-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note: The Council of Architecture Rules, 1973 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub-section (i) *vide* number G.S.R 67(E) dated 20th February, 1973 and last amended *vide* number G.S.R 623(E) dated 24th August, 2023 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 25th August, 2023.